पुनः 17-10-15 को पेश हो।

उप जिला कलक्टर
बामनवास (जिला-स०मा०)

17/10/15 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप० नहीं है। बार-बार आवाज दिलाई गई कोई हाजिर नहीं है। सायल का प्रा० पत्र 7-I हुक्म ताजरी एवं हुक्म पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल की जावे।

उप जिला कलक्टर
बामनवास (जिला-स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Paridwal
Date: 2019.11.21 15:32:33 IST
Reason: SelfAttested